इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 19, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्र. एफ 5-09-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-5042-(दो-1-19/16) दिनांक 5 अक्टूबर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2021 तक पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन करते हुए साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति चाही है.

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए) 69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) रेन्ज,

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-01-2021-दस-2

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2021

संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर., सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति

1/ **प्रस्तावना:-**

पारिस्थितिकीय सेवाओं के सतंत् संचालन एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। विभिन्न कम्पनियों/ औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility CSR) के अंतर्गत लोक कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण आदि गतिविधियॉ की जा सकती है। नवीन स्थापना तथा विस्तारित की जा रही औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण पर पढ़ने वाले विपरीत प्रभाव का अल्पीकरण (Mitigation) हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility-CER) निधि से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत निधियों से भी स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करते हुए वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना करने के लिए कार्य किए जा सकते हैं।

राज्य शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु जारी संकल्प में संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समिति (जिसे आगे वन समिति कहा गया है) को आवंटित वन क्षेत्र के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 10 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना (Micro plan) वनमंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों को सम्पादित करने के हेतु सी.एस.आर. एवं सी.ई.आर. या अन्य त्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती है।

वनमंडल स्तर पर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वन विकास अभिकरण" का गठन किया गया है। वन विकास अभिकरण के माध्यम से वनों की पुर्नस्थापना हेतु अशासकीय स्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती है। राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरणों के साथ समन्वय करके वन विकास की गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करना है।

2/ अधिसूचित वन क्षेत्रों में 0.4 से कम घनत्व वाले बिगड़े वनों को वृक्षारोपण के माध्यम से पुर्नस्थापित करने हेतु सी.एस.आर., सी.ई.आर., निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह नीति जारी की जा रही है।

3/ **वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव:-**

3.1. सी.एस.आर., सी.ई.आर. या अन्य स्रोतों से वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना में भूमिका अदा करने का इच्छुक औद्योगिक समूह/निगमित निकाय, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था वनमंडल या राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

3.2. निकाय/संस्थाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थल या क्षेत्र का चयन कर सकेंगे। प्रस्ताव के साथ निगमित निकाय या संस्था के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित लेखा भी संलग्न करेंगे।

3.3. राज्य वन विकास अभिकरण को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को भी आवेदक की रुचि के अनुसार चयनित वनमंडल के वन विकास अभिकरण को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4/ **क्षेत्र चयन:-**

41. वन भूमि पर किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जाएगा। पुर्नस्थापना हेतु वनक्षेत्र की स्थिति एवं उपचार के सम्बंध में वनमंडल अधिकारी प्रस्तावक संस्था को अपने अभिमत से अवगत कराएंगे।

42. वन क्षेत्र के पुर्नस्थापना में रुचि प्रकट करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वनमंडल अधिकारी द्वारा वन समिति की सहमति प्राप्त करने के लिए आमसभा का आयोजन कराया जाएगा। आमसभा में सदस्यों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तार से समझाइश दी जाएगी। वन समिति की आम सभा का अनुमोदन प्राप्त होने पर समिति को आवंटित वन क्षेत्र के विकास हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

4.3. वनमंडल अधिकारी द्वारा वन क्षेत्र का एक डिजिटल मानचित्र तैयार कराया जाएगा, जिसमें वन की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित उपचार कार्यों को अंकित किया जाएगा।

5/ **त्रिपक्षीय अनुबंध:-**

वृक्षारोपण हेतु निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्था, वन समिति एवं वन विकास अभिकरण के बीच संलग्न प्रारूप में एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा जिसमें तीनों पक्षों की भूमिकाओं एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा। प्रमुख बिंदु निम्नानुसार होंगे :-

5.1. सी.एस.आर., सी.ई.आर., व्यक्ति या संस्था, जो वन क्षेत्र को पुर्नस्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हों, के साथ वन समिति एवं वन विकास अभिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। त्रिपक्षीय अनुबंध अवधि 5 से 7 वर्ष होगी।

5.2 वृक्षारोपण के लिए निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था को वन क्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निधियॉ प्राप्त कराने के एवज में संस्था को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा।

5.3 वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े।

5.4 पुर्नस्थापना की परियोजना में वन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा।

5.5 त्रिपक्षीय अनुबंध के बाद 1 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा तथा 2 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

5.5 वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया से किया जाएगा जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेंगे।

6/ सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण एवं स्वीकृतिः-

6.1 वनमंडल अधिकारी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप एवं स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वन समिति के सहयोग से वन क्षेत्र के उपचार हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कराएगा। वन समिति की आम सभा द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात वनमंडल अधिकारी सूक्ष्म प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करेगा।

6.2 सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में वन क्षेत्र के उपचार हेतु निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्था के प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे।

6.3 ऐसी वन समिति जिसका सूक्ष्म प्रबंधन योजना वनमंडल अधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, उसमें भी इन निर्देशों के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया जा सकेगा।

6.4 वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

7/ चयनित क्षेत्र का प्राक्कलन तैयार करनाः-

सूक्ष्म प्रबंधन योजना में शामिल किए गए उपचारों के क्रियान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों का प्राक्कलन वन मंडलाधिकारी के सहयोग से कार्य सम्पादन करने वाली संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा तथा तीनों पक्षों की सहमति से स्वीकृत किया जाएगा।

8/ कार्य संपादनः-

8.1. कार्य संपादन वन समिति द्वारा किया जाएगा। वन विकास अभिकरण के सदस्य सचिव, प्रदाता निकाय एवं समिति के मध्य अनुबंध के अनुसार उपचार की राशि वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रीति से हस्तांतरित की जाएगी। वन विकास अभिकरण द्वारा कार्य संम्पादन हेतु राशि वन समिति के विकास खाते में जमा कराई जायेगी। संस्था यदि चाहे तो वन विकास अभिकरण को सूचना देते हुये सीधे राशि वन समिति के खाते में अंतरित कर सकेगा।

8.2. वन समिति की कार्यकारिणी द्वारा कार्यों के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन के पश्चात समिति द्वारा कार्य सम्पादन कराकर वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

8.3. कार्य का संपादन त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.4. प्राप्त निधियों से वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण, वन समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करा सकेगी।

8.5. स्थल पर वनों की वैधानिक स्थिति प्रदर्शित करने वाले पटल लगाए जाएंगे। पटल पर कार्य का विवरण, लागत, निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था एवं क्रियान्वयन संस्था का नाम अंकित किया जाएगा।

9/ **अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः-**

9.1 पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभाग की निर्धारित मानक रीति से भी किया जाएगा। वृक्षारोपण को विभागीय "वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली" में पंजीकृत किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में परिणामों को अद्यतन किया जाएगा।

9.2 वनमंडल अधिकारी त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत शामिल वन क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा। वनमंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा गैर वानिकी गतिविधियां संचालित नहीं हों।

9.3 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 वर्ष की अवधि के पश्चात वृक्षारोपण में पौधों का जीवितता प्रतिशत 50% से अधिक हो। जीवितता प्रतिशत 50% से कम होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

10/ **अनुबंध का समापन /निरस्तीकरणः-**

10.1 एक वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने, 2 वर्ष की अवधि में वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर वनमंडल स्तरीय वन विकास अभिकरण के सचिव को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा, किंतु त्रिपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का आदेश सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा।

10.2 इस अनुबंध को निरस्त किए जाने के निर्णय के विरुद्ध वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

10.3 कार्य समापन के उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन जारी किया जाएगा जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर., सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप

प्रदेश में बिगड़े वनों के पुर्नस्थापना हेतु विभिन्न कम्पनियों/औद्योगिक ईकाईयों द्वारा सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधि से पर्यावरण संरक्षण हेतु यह त्रिपक्षीय अनुबंध समस्त पक्षों की सहमति से आज दिनांक ..... को अनुबंध किया गया है।

2/ अनुबंध में विभिन्न पक्षकारों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **प्रथम पक्ष** –वनों की पुनर्स्थापना/वृक्षारोपण हेतु निधि उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, अशासकीय/स्वयंसेवी संस्था, निगमित निकाय (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक, कंपनी के तत्कालीन भागीदार उसके उत्तराधिकारी, सम्मिलित होंगे)
2. **द्वितीय पक्ष** –संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समिति ..... परिक्षेत्र..... ..... वनमंडल .....जिला.....मध्यप्रदेश, की ओर से वन समिति के अध्यक्ष (जहॉ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो उसके संस्थागत उत्तराधिकारी, सम्मिलित होंगे)
3. **तृतीय पक्ष** – वनमंडल अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन विकास अभिकरण .....वनमंडल, (जहॉ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो उसके लिए कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे)

3/ विभिन्न पक्षों के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

प्रथम पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु अपनी प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
2. निधियॉ समय पर उपलब्ध कराना।

द्वितीय पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु तय प्राथमिकता अनुसार क्षेत्र चयन करना।
2. चयनित क्षेत्र हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना तथा आमसभा से अनुमोदन कराना।
3. निधियॉ प्राप्त होने पर अनुबंध अनुसार कार्य संपादन करना तथा वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित कराना।

तृतीय पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु आवेदक संस्था से प्रास्तव प्राप्त होने पर प्रस्तावक संस्था को सहमति प्रदान करना।
2. वन समिति को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में सहायता करना तथा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान करना।
3. प्राप्त निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुये वन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य समय से पूर्ण कराना।
4. वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत करना तथा समय–समय पर परिणामों को अद्यतन करना।
5. वृक्षारोपण से स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करना।
6. प्रस्तावक संस्था को वृक्षारोपण की प्रगति से समय–समय पर अवगत कराना।

4/ मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के प्रावधानों के अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों की पुर्नस्थापना हेतु किये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को आवंटित किये गये बिगड़े वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कराने का इच्छुक है।

प्रथम पक्ष वनक्षेत्र या उसके एक अंश की पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन के अनुसार निधियॉं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

5/ त्रिपक्षीय अनुबंध का यह प्रलेख इस बात का साक्षी है कि संबंधित पक्ष एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर परस्पर अनुबंध करते हैं :–

1. द्वितीय पक्ष .....(वन समिति का नाम) को आवंटित वन कक्षों (क्रमांक का उल्लेख किया जाये) ..... जिनका कुल क्षेत्रफल .....हेक्टेयर है, में से कक्ष ..... के ..... हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित करने हेतु सभी पक्ष सहमत हैं।
2. तृतीय पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की आमसभा की बैठक आयोजित कर पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
3. किसी भी पक्ष द्वारा वनक्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव पड़े।
4. किसी भी पक्ष द्वारा वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, प्रचलित वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लघन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण की परियोजना में वनक्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जायेगा। वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी। विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा।
6. प्रथम पक्ष को वनक्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निधियॉं उपलब्ध कराने के एवज में प्रथम पक्ष को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा।
7. कार्यों के निरीक्षण एवं देखभाल के लिए प्रथम पक्ष को संबंधित वन क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार रहेगा।
8. तृतीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वनक्षेत्र में अतिक्रमण अथवा किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियॉं संचालित न हो।
9. प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर चयनित कक्ष क्रमांक बिगड़े वनक्षेत्र के उपचार हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा वन विभाग की स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण कराया जायेगा, जिस की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष भी सहभागी के रूप में भाग ले सकेगा।
10. सहभागी प्रक्रिया से तैयार की गई सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन वन समिति की आमसभा से द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा। तृतीय पक्ष द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
11. प्रथम पक्ष को परामर्श में शामिल करके चयनित क्षेत्र के उपचार हेतु स्वीकृत सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तृतीय पक्ष द्वारा तैयार कर उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी।
12. वृक्षारोपण करने के लिए प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी एवं उसके बाद कम से कम चार वर्ष तक वृक्षारोपण के रख–रखाव के कार्य का प्रावधान करने का उत्तरदायित्व तृतीय पक्ष का होगा।

13. वनक्षेत्र की स्थिति एवं वर्तमान में वन की स्थिति को दर्शाने वाला डिजिटल मानचित्र एवं अनुमोदित उपचार योजना तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी।
14. प्रथम पक्ष द्वारा प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य संपादन हेतु निर्धारित राशि अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रानिक रीति से जमा कराई जायेगी। तृतीय पक्ष द्वारा कार्य संपादन हेतु राशि द्वितीय पक्ष के विकास खाते में जमा कराई जायेगी। तथापि प्रथम पक्ष चाहे तो तृतीय पक्ष को सूचना देते हुये द्वितीय पक्ष के खाते में सीधे राशि अंतरित कर सकेगा।

    निर्धारित अवधि में राशि उपलब्ध नहीं कराने पर अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष वन विकास अभिकरण के समक्ष तथा द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।
15. द्वितीय अथवा तृतीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अंदर अनुबंध के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य संपादित नहीं किया जाता है तो द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण मूल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्रथम पक्ष को वापस की जायेगी।
16. द्वितीय पक्ष को प्राप्त निधियों के संदर्भ में वन समिति के विकास खाते का नियमानुसार अंकेक्षण किया जायेगा एवं पारदर्शिता हेतु उसकी एक प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जायेगी। निधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
17. स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य का सम्पादन द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगा।
18. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यों एवं व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक रूप से वन समिति की कार्यकारिणी की आमसभा में प्रस्तुत एवं आमसभा से अनुमोदन पश्चात वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा यथा संभव स्थानीय मजदूरों को कार्य में लगाया जायेगा तथा स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग किया जायेगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपचार स्थल पर एक पटल लगाया जायेगा जिसमें वनों की वैधानिक स्थिति, कार्य का विवरण, लागत तथा निधियॉ उपलब्ध कराने वाले प्रथम पक्ष का नाम एवं वन समिति का नाम अंकित किया जायेगा।
21. कार्य के दौरान एवं कार्य समापन के पश्चात वनक्षेत्र की अग्नि, अवैध कटाई एवं अवैध चराई से सुरक्षा का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
22. पुर्नस्थापन/वृक्षारोपण के रख–रखाव के दौरान साफ–सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोंपज पर द्वितीय पक्ष का अधिकार होगा।
23. पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया एवं वन विभाग की निर्धारित मानक रीति से किया जायेगा, जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेंगे।
24. तृतीय पक्ष द्वारा वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत कर निर्धारित अवधि में इसके परिणामों को अद्यतन किया जायेगा।
25. तृतीय पक्ष द्वारा कार्य समापन उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव का आंकलन भी किया जायेगा।

26. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात वृक्षारोपण में रोपित पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही रोपण को सफल माना जायेगा।
27. इस त्रिपक्षीय अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से पांच वर्ष होगी। आवश्यकता होने पर सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
28. मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने के लिए प्रथम पक्ष हर समय प्रतिबद्ध होगा।
29. इस अनुबंध के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन होगा, जिसके साक्ष्य में, इसमें लिखित दिनांक को प्रथम पक्ष ने यहाँ अपने हस्ताक्षर किए हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है तथा ऊपर लिखित द्वितीय एवं तृतीय पक्ष ने हस्ताक्षर किए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्र. एफ 02-01-2021-अ-तिहतर.—सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद् आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए "मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना" को प्रारंभ किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है:—

1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा. इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :—

(i)	परियोजना सीमा	: (अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिये राशि रुपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं. (ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रुपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं.
(ii)	पात्रता :	
	(क) आयु	: 18-40 वर्ष
	(ख) शैक्षणिक योग्यता	: न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण
	(ग) आय सीमा	: (अ) परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो. (ब) परिवार से आशय: (i) आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा